

न्यायालय कलेक्टर, रायपुर


—:: सार्वजनिक सूचना ::—

पृ.क्रमांक /भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र./ /अ/ वर्ष रायपुर दिनांक :

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना(द्वितीय चरण) मुख्य नहर निर्माण ग्राम— आरंग प.ह.नं. 54, तहसील आरंग के निम्नलिखित भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर जिला—रायपुर(छ.ग.) के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है:—


क्र.	भूमिस्वामी का नाम, पिता/पति का नाम	ख.नं.	कुल रकबा(हे.)	अर्जित रकबा(हे.में.)	धनहा सिंचित
1	तिहारू पिता परऊ	1222/7ज3	0.215	0.215	धनहा सिंचित
2	हरिलाल पिता परऊ				
3	घुरवाबाई पिता परऊ				
4	निर्मलाबाई पिता परऊ				

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15(पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।


कलेक्टर,
रायपुर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1149 (6) /भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र./ /अ/ वर्ष रायपुर दिनांक : 28-11-2020
प्रतिलिपि :-

- कार्यपालन अभियंता, मं.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर(छ.ग.) को उनके पत्र क्र..... /तक/भू-अर्जन/रायपुर दिनांक.....के तारतम्य में सूचनार्थ व कृपया सार्वजनिक सूचना का एक स्थानीय और राजस्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर पेपर कतरन की प्रति इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें।
- अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी आरंग।
- तहसीलदार आरंग।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद आरंग।
- माल जमादार कार्यालय कलेक्टर, रायपुर को सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करने अग्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. रायपुर को जले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर,
रायपुर(छ.ग.)